(3)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ (जिला श्रीगंगानगर)

पीठासीन अधिकारीः–कन्हैयालाल सोनगरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या– 14 / 2024

GCMS CASE NO-2024/15

दायरा दिनांक 28.03.2024

कालूराम पुत्र बेगाराम जाति ओड निवासी चक 2 डी.डब्लू.एम तहसील सूरतगढ़।

––प्रार्थी

बनाम

1. सूर्यपाल पुत्र जगदीश जाति कुम्हार साकिन बीरमाना तहसील सूरतगढ़।
2. राजस्थान सरकार जरिये भू–धारक प्रतिनिधि तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़।

––अप्रार्थीगण

शिकायत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11, 14 उपनिवेशन अधिनियम 1954 सपठित धारा 14 (4) आवंटन नियम 1970

उपस्थितः–

1. श्री श्याम सुन्दर चाण्ड़क, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री शिशपाल शर्मा, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01
3. पैरोकार राज

–:: निर्णय ::– दिनांक :05.11.2024

शिकायत प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह शिकायत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी नं0 01 द्वारा झूठे व असत्य तथ्य पेश कर निवेदन किया कि पं0नं0 197/11 कि0 नं0 1 ता 3, 8 ता 13, 19, 20, 22, 23 कुल 2.783 है0 अनकमाण्ड व 0.759 है0 कमाण्ड है0 भूमि शुद्ध रकबा राज है। अप्रार्थी ने अपना मिडियम पेच में आवंटन करवाने बाबत् पेश कर दिनांक 01.01.2024 को भूमि का आवंटन करवा लिया है कि उक्त भूमि राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर परियोजना) क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एंव विक्रय नियम 1975 के नियम 13 (क) में आरक्षित भूमियो में थी, जो विशेष आवंटन के जरिये ही आवंटन योग्य थी। मिडीयम पेच में अप्रार्थी द्वारा गलत तथ्यों को पेश कर आवंटन करवा लिया है। जो प्रथम दृष्टया निरस्त किये जाने लायक है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। प्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री श्याम सुन्दर चाण्ड़क हाजिर आये। अप्रार्थीगण संख्या 1 की और से अधिवक्ता श्री शिशपाल शर्मा एवं अप्रार्थी संख्या 02 पैरोकार राज उपस्थित हुए।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस शिकायत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि विवादित रकबा गजट में प्रकाशित रकबा है। जिसको बिना डी–नोटिफाईड करवाये आवंटन नहीं किया जा सकता था। राज्य सरकार समय–समय पर गजट में प्रकाशित रकबे को डी–नोटिफाईड करती रहती है। तत्पश्चात भूमि आवंटन योग्य बनती है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में उपलब्ध रकबा राज भूमिया जो गजट में प्रकाशित है, उन्हे राज0 उप0(इ.गा.न.प.यो) 1975 के नियम 13(क) के बने प्रावधानो के तहत ही आवंटन किया जा सकता है। उक्त [illegible] भूमियों को आवंटन हेतु राजस्थान सरकार राजस्व (उपनिवेशन) [illegible] /84/85 जयपुर दिनांक 15 जनवरी 1987 का सरकुलर भी जारी किया हुआ [illegible] प्रथम चरण श्रीग[illegible] में लागू हुआ। अधीनस्थ न्यायालय के [illegible] 01.01.2024 द्वारा गजट में प्र[illegible] भूमि का मिडीयम पेच में आवंटन किया गया है, जो राज0 उप0(इ.गा.न.प.यो) 1975 के नियम 13(क) के

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.11.19 12:20:09 IST
Reason: Self Attested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

1069

Scanned with OKEN Scanner

बने प्रावधानो के विपरीत किया हुआ है। अप्रार्थी नं0 01 द्वारा मिडियम पेच के प्रार्थना पत्र में गजट मे प्रकाशित भूमि को छुपाते हुए गलत तथ्यो के आधार पर रिपोर्ट तैयार कर मिडीयम पेच के प्रार्थना पत्र में गलत सूचना दी है। इसलिए उपरोक्त आवंटन दिनांक 01.01.2024 खारीज किया जावें। इसके अतिरिक्त उपरोक्त भूमि का कब्जा भी अप्रार्थीगण के पास नहीं रहा व आवंटन के दिन भी कब्जा नहीं था। अतः अप्रार्थी संख्या 01 को मीडियम पेच में आवंटन उक्त रकबा खारिज किया जावे।

वकील अप्रार्थी संख्या नं0 1 ने दौराने बहस जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि मुझ अप्रार्थी संख्या 01 को उक्त रकबा मिडीयम पेच में आवंटन किया गया है जो नियमानुसार सही है। उपनिवेशन विभाग राजस्थान के नोटिफिकेशन संख्या 4(16) कॉलो/1999 जयपुर दिनांक 10.12.2019 के अनुसार विशेष आवंटन में आरक्षित रकबा आरक्षित कीमत पर 10 प्रतिशत की बढोतरी प्रतिवर्ष की कीमत या डीएलसी रेट से जो ज्यादा होगा, पर आंवटन किया जा सकेगा। चुंकि उक्त रकबा गजट में सन् 1988 में प्रकाशित कीमत 2,27,500/– रूपये 25 बीघा कमाण्ड की कीमत प्रति बीघा 9,100 रूपये थी तथा 350 प्रतिशत बढ़ोतरी किया जाने पर उक्त रकबा की कीमत 40.950 रूपये प्रति बीघा नहरी की बनती है, चुकी उक्त रकबा में केवल 3.00 बीघा रकबा की नहरी है तथा 11.00 बीघा अनकमाण्ड़ है तथा यह रकबा प्रार्थीको 1,21,440 रूपये प्रति बीघा यानी 4,80,000/–रूप्ये प्रति हैव0 कमाण्ड व 185,000/– रूप्ये प्रति हैव0 यानी 46,805/– रूप्ये प्रति बीघा के हिसाब से आंवटन हुई है जो विशेष आंवटित रकबा की कीमत से कई गुना ज्यादा है, इसलिए उक्त आवंटन पूर्णतया विधी सम्मत है। अप्रार्थी नं0 1 कोई भी तथ्य छिपाया नहीं है व ना ही कोई मिथ्या तथ्य पेश किया है, प्रार्थी ने केवल रंजिशवंश शिकात पेश की है, इसलिए शिकायत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। इसके अतिरिक्त प्रार्थी द्वारा माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के यहां अपील सं0 19/2024 पेश कर रखी है व उस पर स्थगन आदेश भी जारी किया हुआ है। इसलिए शिकायत प्रार्थना पत्र खारीज कियाजावें।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का गहतना से अवलोकन किया। जिससे पाया कि प्रार्थी शिकायतकर्ता द्वारा निर्णय दिनांक 01.01.2024 के विरूद्ध न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष अपील सं0 19/2024 ब अनवान कालूराम बनाम सूर्यपाल आदि पेशकर रखी है, जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश भी जारी किया हुआ है। इसलिए हस्तगत शिकायत प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थी का शिकायत प्रार्थना पत्र सारहीन होने के कारण खारिज योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है तथा आदेशिका दिनांक 28.03.2024 द्वारा जारी स्थगन आदेश निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार सूरतगढ़ को पालनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05/11/2024 मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.11.19 12:20:09 IST
Reason: SelfAttested

5/11/24

(कन्हैया लाल सोनगरा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner